न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा

जज अदालत नायब तहसीलदार मण्डावर मुकाम–मण्डावर (दौसा)

राजस्थान सरकार   बनाम ..... दयाराम , हरि, केदार पुत्रान श्री रामजीलाल

किस्म मुकदमा– भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या–06 सन्–2023

निर्णय दिनांकः–07.02.2023

–:: निर्णय ::–

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2079 ग्राम पाखर–1 भूमि ख0न0 1382 कुल रकबा 0.06 अतिक्रमित रकबा 0.06 है0 देव स्थान भूमि पर गैर सायलान दयाराम, हरि व केदार पुत्रान रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी पाखर–1 द्वारा सरसों की बुवाई कर अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, गैर सायलान को राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायलान न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुए तथा अभिभाषक द्वारा वकालत नामा लगवाया गया एवं आज नियत दिनांक को भी गैर सायलान एवं अभिभाषक की तरफ से कोई भी न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुआ। पटवारी हल्का पाखर–1 से वर्तमान में मौके पर उक्त भूमि पर अतिक्रमण संबंधी बयान लिए गये। पटवारी हल्का बयान अनुसार गैर सायलान द्वारा आदिनांक तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। गैर सायलान द्वारा पूर्व में भी उक्त खसरा नम्बर पर अतिक्रमण किया गया था।

इससे यह प्रतीत होता है कि गैर सायल द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। तथा गैर सायलान द्वारा पूर्व में भी उक्त खसरा नम्बर पर अतिक्रमण किया गया था जिसे इस कार्यालय द्वारा निर्णय पारित कर बेदखल किया गया था।

पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायलान का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायलान दयाराम, हरि एवं केदार पुत्रान रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी पाखर–1 को भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(2) के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमण के कृत्य के लिए 03(तीन) माह के सिविल कारावास व लगान दर 2.6 रुपये का 50 गुणा 130 रुपये की शास्ति से दण्डित किया जाता है तथा गैरसायलान को मौके से (अतिक्रमित रकबे से) भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

गैर सायलान के विरूद्ध गिरफ्तारी वांरट प्रारूप 'ख' जारी हो, थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डावर को भेजा जावे। मांग कायमी हेतु तहसील [illegible] मण्डावर को लिखा जावे। शास्ति वसूली, बेदखली एवं फसल नीलामी हेतु पट[illegible] एवं भू0 अभि0 नि0 को लिखा जावे बाद तकमील पत्रावली फैसल [illegible] निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रो0 ल0 रा0 4 वर्ष 2022-23 की
पृ0 सं0 51 पर 130 रु
मांग कायम की गई

तहसील, राजस्व लेखाकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.23 15:23:34 IST
Reason: SelfAttested

नायब तहसीलदार
तहसील मण्डावर (दौसा)

Scanned with CamScanner